Order or proceeding with Signature of Presiding Officer

Signature of Parties or Pleaders where recessar

28 3 17 D4:60 P.M To 04:15 P.M

आवंतक सममजन द्वारा श्री टीपीएस तांमर अधिवक्ता उपस्थित।

राज्य द्वारा श्री बीएस. बधेल अतिरिवत लोक अभियोजक जमस्थित।

ा परियादी दशरख सिंह सहित श्री एस.एस. तोगर 04:15 रे. भ प्रधिययना उपस्थित गेगो पेश।

फरियादी की ओर से स्वयं के आधार कार्ड की मौटोप्रति एवं आवेदन पेश किया गया।

शाना एएडोरी से अपराध क्यांक 29,/2017 अंतर्गत धारा—326, 323, 394, 356 एवं 34 माठकासंठ की केंक्पियत य

आतंत्रक के अग्रिम जमानत आतंद्रन अंतर्गत एएए—438 हां प्राप्त के साथ आवंद्रक के तमाद चिम्मन सिंह का शमयम्ब मेश किया गया है, आवंद्रन एवं शमयम्ब में यह व्यक्त किया गया है, कि यह आवंद्रक शममबन का प्रथम अग्रिम जमानत आवंद्रन है, इस प्रकृति का कोई अन्य आवंद्रन समक्ष न्यायालय या मानीय उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन नहीं है, न प्रस्तुत किया गया है भीर नहीं निराकृत किया गया है। ऐसा है केस डायरी से भी सम्ब हैं।

आयेवन पर उभयपस के तर्क सुने गए।

आवेदक की ओर से व्यक्त किया गया है. कि वह ग्रामी वालीरी के पुरा का स्वार्ड मूल निवासी होकर 82 वर्षीय वृह व्यक्ति है, मरियादी की झूटी रिपोर्ट के आखार पर आवंदक के विरुद्ध झुठा अपराध, अपराध क्रमांक 23,/2017 अंतर्गत षारा-३२६, ३२३, २९४, ५०६/३४ भावकविव का पंजीबह क्य लिया 🕏 जबकि आवेरक का तथाकथित अपराध के किसी प्रकार का कोई संबंध सरोकार नहीं है, उसे रंजिशन भूठा फंसाया गया **एं.** दिनांक 05/03/17 को फरियारी ताक पॉक्स आवंदक से नरपाजे के सामने बुरी-बुरी गालियां ने यहा था ऑर आवंतक से वारू पीने के लिए पैसे मांग रहा था, जब आवंदक अपने घर से वरपाजे पर आया तो फरियावी वशस्य आयेवक की जेब में रखे 100 / - रूपए लेकर भागा और भागते हुए सस्ते में मुंह के बल रास्ते में बले पत्थरों पर गिर गया, जिससे उसके हींठ में तोट आई, तथा फरियादी वर दांत 5—8 वर्ष पूर्व ही गिर गया था व्याची फरियादी ने वर्तमान में नकली दांत लेंगवा लिए है, उन्हें ही निकालक्य करिवादी ने पुलिस से संदिगांद कर झूटा अवस्थ पंजीबह कराया गया है। इसी कारण पुलिस वाना एवं होरी उसी गिरम्तार करने के लिए प्रयत्नरील है, और एसं गिरम्तार कर यातनाएं रेना चाहती है, यदि पुलिस दास उसे विकडनार्ज Open Sales

कर लिया गया तो समाज में उसकी छपि घूमिल हो जाएगी।

अभियोजन की ओर से मीखिक रूप से विरोध किया गया

और आवंदनं निरस्त किए जाने पर बल दिया है।

फरियादी दशस्व सिंह ने व्यक्त किया है, कि उसे भागती हुए खरंजे पर गिरने से होंठ पर चोट आई थी। यह पढ़ा जिला नहीं है। उसका व अमियुक्तगण का राजीनामा हो गया है, उसे

जमानत दिए जाने में कोई आमरित नहीं है।

लगयम्स को सुने जाने तथा कैंपियत य केंस खायरी का अध्ययन करने पर स्पेट हैं, कि अभियोजन के अनुसार दिनांक 05/09/17 को रावि 10:30 बर्ज के लगमग ग्राम आलीरी के पुरा में फरियादी दसरख जाट्य के द्वारा आयंदक ग्रमफबन से लधारी के इस हजार रूपए गांगने पर रागमजन ने उसे अरुलील गालियां दी एवं राममजन ने तसे पकद लिया, तथा अविनास वर्फ गुरुवचन ने वसे हिसिया मारा जो वसके होंठ पर लगा और जिससं तसक दांत टूट गया। आकाश ने जसे लाटियां मारीप्र चक्त घटना की रिपोर्ट थान एष्टिंशी में की गई।

फरियादी ने उपस्थित होकर अभियुक्तगण सं राजीनामा करना व्यक्त किया है, परंतु इस स्तर परं गुणदोषों पर विचान नहीं किया जाना है, अमियोंजन के अनुसार राममजन जाटय ने परियादी दशस्य को पकड़ा है और उसके पुत्र अधिनात ने उसे इसिया मारा है और आकांश ने लाठियों से मारा है, एम.एल.सी. रिपोर्ट में नीते का दांत इसाइजर ट्टा हुआ है और व्हीदिंग हो रहीं है। मामले की संपूर्ण परिस्वितियों तथा तथ्यों को वेखते हरा आयंदकं को अग्रिम जमानत का लाम दिया जाना न्यायांचित प्रतीत नहीं होता है। अत आवेदक का अग्रिम जमानत आवेदन निर्सा किया जाता है।

कंस ज्ञायरी आरोश की प्रति के साथ पापिस की जाये।

ज्यानत प्रयव नतीजा तर्ज करने के बात अमिलेखागार में मंजा जाय।

> (माहमार अजाई हितीय अपर सब चायाधील गांहर जिला भिष्ड